


11.6.24

पत्रावली पैसा। वकील वादी या वादी स्वयं
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लाने
पर भी कोई उपस्थित नहीं आया।
अतः वादी का यह वाद फल भ्रम
चैरवी - अइम हाजिरी के इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
बाद तस्वीर तकमील होकर सारिफ
इकतल है।

निर्णय लिखाया जाकर सुनने
न्यायालय के सुनाना गया।


(मैजिस्ट्रेट सुनार भोवा)
R.A.S.